

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, आरेरा कालोनी, भोपाल

214

कमांक 732/स्था./मुप्रनिबो/09

भोपाल, दिनांक 31/3/2009

—:: कार्यालय आदेश ::—

राज्य बोर्ड की 117 वीं बैठक दिनांक 28-01-2009 के एजेंडा विन्दु कमांक-1.6 में लिये निर्णयानुसार परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन एवम् सीमापार संचलन) नियम, 2008 के अंतर्गत वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को व 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक के खनन खदानों को प्राधिकार एवं प्राधिकार नवीनीकरण जारी करने के अधिकार अध्यक्ष को तथा लघु श्रेणी उद्योगों को व 5 हेक्टेयर तक व उससे कम क्षेत्रफल की खदानों को प्राधिकार व प्राधिकार नवीनीकरण जारी करने के अधिकार क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्योजित किये जाते हैं। उक्त नियम के परिपेक्ष्य में अन्य शर्तें शामिल अथवा विलोपित करने या उसमें परिवर्तन किये जाने के अधिकार अध्यक्ष को होंगे। प्राधिकार/प्राधिकार नवीनीकरण हेतु प्रशासनिक व्यय निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

उद्योगों की श्रेणी	प्राधिकार हेतु प्रतिवर्ष प्रशासनिक व्यय (रूपये)	प्राधिकार नवीनीकरण प्रतिवर्ष प्रशासनिक व्यय (रूपये)
1 वृहद्/ मध्यम श्रेणी के उद्योग व 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक के खनन उद्योग	10,000	6000
2 लघु श्रेणी के उद्योग व 5 हेक्टेयर तक व उससे कम क्षेत्रफल के खनन उद्योग	5,000	3000

(आर. के. जैन)

सदस्य सचिव

भोपाल, दिनांक / / 2009

पृ.क.

/स्था./मुप्रनिबो/09

प्रतिलिपि :-

1. समस्त शाखा प्रभारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
2. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।

(आर. के. जैन)

सदस्य सचिव